राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 06/2018/भरतपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री सीतांशु शर्मा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 150/CST/2016–17/अ.प्रा./भरतपुर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2009–10 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.09.2015 को केन्द्रीय अधिनियम के तहत पारित किया गया था, उसमें यह पाया गया था कि व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्जीय विक्रय के समर्थन में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत रियायत प्राप्त करने हेतु जो घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उनके सत्यापन पर वे घोषणा प्रपत्र बोगस या असत्यापित पाये गये थे ऐसी स्थिति में ऐसे विक्रयों पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(4) की पालना नहीं होने से उस बिक्री पर पूर्ण कर दर से कर आरोपित किया गया, साथ ही बोगस घोषणा प्रपत्रों को प्राप्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने को

लगातार.....2

करापवंचन का कृत्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत कर राशि की दुगुनी राशि की शास्ति का भी आरोपण किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 8(2) के तहत आरोपित कर की मय ब्याज पुष्टि की गई, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01** एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 2189/2016/भरतपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मैसर्स कमला ऑयल इण्डस्ट्रीज निर्णय दिनांक 28.6.2017** के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने शास्ति के आरोपण को उचित बताते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त करने कर शास्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग की।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उक्त प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में अपीलीय अधिकारी के आदेश के अध्ययन पर यह पाया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा बोगस एवं असत्यापित 'सी' फॉर्म्स को अस्वीकार किये जाने के कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के स्थान पर धारा 8(2) में करारोपण की पुष्टि की गयी है परन्तु उपरोक्त वर्णित माननीय न्यायिक निर्णयों के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि स्वयं इस अपीलीय आदेश में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय कमला ऑयल इण्डस्ट्रीज निर्णय दिनांक 28.6.2017 में ऐसे समान तथ्यों पर आधारित प्रकरण में शास्ति को अपास्त किये जाने का निर्णय किया जा चुका है, फलतः माननीय कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय से यह प्रकरण पूर्णतया आच्छादित होने से उक्त निर्णय के आलोक में राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य